न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां)
प्रकरण/प्रार्थना पत्र/एल.आर. 136/मु0नं0 116/2024

1. बजरंगदास पुत्र मिश्रीदास, उम्र 74 वर्ष निवासी श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, पुष्कर ग्रामीण, जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः—11.02.2025

उपस्थितः— श्री महावीर गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगणों ने इस प्रार्थना—पत्र साराक्षतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम कैरोट पटवार हल्का कैरोट, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नान्दसी तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071—2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 354 में दर्ज खसरा नम्बरान प्रार्थी की पुश्तैनी आराजीयात है। जो उनके पिता स्व0 मिश्रीदास की विरासत से उनको प्राप्त हुई है। वर्तमान जमाबन्दी में सहवनवश प्रार्थी का नाम जेठूदास पुत्र मिश्रीदास अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम बजरंगदास पुत्र मिश्रीदास है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सही नाम बजरंगदास दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार भिनाय को जवाब/रिपोर्ट पेश करने बाबत् जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना—पत्र, प्रस्तुत कर वांछित दुरूस्ती धारा 136 रा0भू0अधि0 के तहत किया जाता उचित नहीं बताया, जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थीगणों के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का सही नाम बजरंगदास पुत्र मिश्रीदास है। परन्तु राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा भुलवश प्रार्थी का नाम खाता संख्या 354 में जेठूदास पुत्र मिश्रीदास दर्ज कर दिया गया। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत तथा उचित है। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी निवेदन के समर्थन में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान—पत्र, राशन—कार्ड, सहखातेदार आत्माराम, घनश्याम, बनवारीलाल, लाड़ पत्नि दुर्गा के साथ गवाह भूपेन्द्र वैष्णव के शपथ—पत्र आदि पेश किये जा चुके है। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना—पत्र के अनुसार कथन करते हुए, न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा उपलब्ध राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम आरम्भ से जेठूदास ही दर्ज है। ऐसा कोई राजस्व अभिलेख सामने नहीं आया जिसमें प्रार्थी का नाम पूर्व में कहीं बजरंगदास दर्ज हो तथा बाद में किन्ही कारणों से जेठूदास दर्ज हो गया हो। चुकि उक्त प्रकार की शुद्धि धारा 136

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

रा0भू0अधि0 के तहत नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज, जवाब तहसीलदार भिनाय, संबंधित पटवारी की रिपोर्ट मय मौका पर्चा, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन–आधार कार्ड, राशन कार्ड, शपथ–पत्र, आदि का गहनता से अध्ययन तथा बहस का मनन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा उपलब्ध राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी का नाम आरम्भ से जेठूदास दर्ज है। ऐसा कोई राजस्व अभिलेख न्यायालय पटल पर नहीं आया जिसमें प्रार्थी का नाम पूर्व में कहीं बजरंगदास दर्ज हो तथा बाद में किन्ही कारणों से जेठूदास दर्ज हो गया हो। या कोई लिपिकिय त्रुटि से अशुद्धि कारित हुई हो। अतः प्रार्थी की वांछित शुद्धि धारा 136 रा0भू0अधिनियम की परिभाषा में नहीं आती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)